

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री गोविन्द पालीवाल पिता श्री शिवशंकर पालीवाल ब्राह्मण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता वरदा नाई निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 79/25 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/159

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 649 पर दर्ज आराजीयात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1.	गोविन्द पालीवाल पिता शिवशंकर ब्राह्मण सा. देह खातेदार	2330 2331 2332 2333 2334/1	0.0324 0.2023 0.0405 0.2266 0.0445	बंजड़ बा.॥ 0.1942 भटवेड 0.0081 बा ॥ बंजड़ बंजड़त्र	0.01 0.12 0.02 0.07 0.01
	योग :-	किता-5	0.5463	-	0.23
2.	रतनलाल पिता वरदा नाई सा.देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा डबोक	2334 मी.	0.5463	बंजड़	0.17
	योग :-	किता-1	0.5463	-	0.17

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे ।

बसब्त मैरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **11.07.2025** को जारी की गई ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

